राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख) विभाग

क्रमांक : प. 8(5)कार्मिक/ख–1/2020 जयपुर, दिनांक : 24 DEC 2020

आज्ञा

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा वर्ष, 2018 में आयोजित लिपिक ग्रेड–II, संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2018 की प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित होने के फलस्वरूप राजस्थान सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1970 के नियम 23 के अन्तर्गत शासन सचिवालय में निम्नांकित अभ्यर्थियों को अस्थाई आधार पर लिपिक ग्रेड–II के पद पर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प0 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (**Probationer-Trainee**) के रूप में नियत पारिश्रमिक 14600/– प्रतिमाह एवं तत्पश्चात पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से एतद्द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

S.NO.	RANK	ROLL NO	NAME	FNAME	DOB	GENDER	CAT
1	4241	1263089	DIPTESH KUMAR PANCHOLI	RAVI PRAKASH SHARMA	04-JUL-96	MALE	GEN
2	4257	2359526	SUNIL KUMAR SHARMA	BHAGAVATI PRASAD SHARMA	01-JUL-99	MALE	GEN
3	4258	2042559	PARAS AGARWAL	SHIV BHAGWAN AGARWAL	28-APR-99	MALE	GEN
4	4262	2226114	SHAILENDRA KUMAR TIWARI	UMA SHANKER TIWARI	02-NOV-91	MALE	GEN
5	4263	1260613	BIKRAMJEET SINGH	IQBAL SINGH	11-JUN-91	MALE	GEN
6	6426	1733334	MADAN LAL CHOUDHARY	BADRI LAL CHOUDHARY	05-AUG-93	MALE	OBC
7	6431	2071420	RAMESH KUMAR	BHARAMAL RAM	08-AUG-98	MALE	OBC
8	6434	2328669	VIKRAM SAIN	DALEEP KUMAR	01-JUN-94	MALE	OBC
9	6438	1880964	RAMCHANDRA LODHA	SO SHANKAR LAL LODHA	10-JUN-97	MALE	OBC
10	6439	1142303	BHARAT	BASTI RAM	15-JUN-95	MALE	OBC
11	6443	2048688	RAMESH	BABU LAL	01-AUG-95	MALE	OBC
12	6445	1107315	DINESH SIHAG	PREM KUMAR	01-NOV-95	MALE	OBC
13	6451	2375808	SATEESH NAGAR	MOHAN LAL NAGAR	01-APR-92	MALE	OBC
14	6452	2362778	USMAN KHAN	SO MUNSHI KHAN	10-MAY-89	MALE	OBC
15	10099	2412419	SWATI SHARMA	MAHESH KUMAR SHARMA	24-JUL-91	FEMALE	GEN
16	10104	2191344	VANDANA KHANDELWAL	MURARI LAL GUPTA	26-OCT-92	FEMALE	GEN
17	10119	1707131	KOMAL GUPTA	KINDURI LAL GUPTA	04-JAN-99	FEMALE	GEN
18	10123	1958951	RITU KANWAR	BHAGWAI SINGH RATHORE	30-JUN-99	FEMALE	GEN
19	10137	1783445	MONU BALA	MADAN LAL	18-JUL-96	FEMALE	GEN
20	19726	1818226	RAJENDRA KUMAR	BHAGWAN SINGH	04-MAR-94	MALE	SC
21	19743	2161407	VIJAY KUMAR MAHAWAR	SONI LAL MAHAWAR	10-OCT-95	MALE	SC
22	22262	2342554	AKSHAY BHATNAGAR	NAVNEET BHATNAGAR	14-JAN-92	MALE	GEN **H_CAT AIMD**

क्रमशः

उक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन की जा रही हैः–

1. उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। किसी कारणवश 15 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, तो पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर देवें कि वे कब तक कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
2. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fix Pay) पर कार्य करने की अपनी सहमति लिखित रूप में प्रस्तुत करनी होगी।
3. उक्त नियुक्तियां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11/एसटी/एससी ओबीसी एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.2015, पत्रांक 63606–726 दिनांक 20.10.2015 एवं प. 11(204)आरएण्डपी/डीडीबीसी/सान्याअवि/2011/68999–69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा–निर्देशों/सत्यापन के अध्यधीन पूर्णतया अस्थाई रूप से रहेगी।
4. परीवीक्षा काल (Probation Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. दो वर्ष की परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण लिपिक ग्रेड–II के पद पर पे–मैट्रिक्स लेवल संख्या–5 में नियमानुसार वेतन उस पर अन्य भत्ते देय होगें।
7. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लिपिक ग्रेड–II संयुक्त भर्ती परीक्षा, 2018 में शासन सचिवालय हेतु योग्यता सूची के क्रमानुसार इस विभाग के समसंख्यक नियुक्ति आदेश दिनांक 20.03.2020, 04.05.2020, 25.06.2020 एवं 29.06.2020 की निरन्तरता में योग्यतानुसार, वरियता(मेरिट) क्रम में रहेगी।
8. परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अव0काश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं. एफ0 13(1)/वित्त/नियम/2003 दिनांक 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होगें एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालाभ देय होगें।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन, भत्ते देय होगें परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होगें।
12. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 1(5)डीओपी/ए–2/17 दिनांक 15.05.2018 की अनुपालना में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एटैस्टेशन फार्म एवं स्व–घोषणा के आधार पर यह अस्थाई नियुक्ति दी जा रही है। पुलिस विभाग द्वारा प्रेषित चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए उनका चयन निरस्त किये जाने का अधिकार होगा।

क्रमशः

13.परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ0 12(6)एफडी/रूल्स/05 दिनांक 13.03.2006, 6(6)एफडी/रूल्स/2005 दिनांक 13.03.2006, 1(2)एफडी/रूल्स/2006 दिनांक 13.03.2006, 13(1)एफडी/रूल्स/2003 दिनांक 13.03.2006 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दिनांक 30.10.2017 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (**Fixed Remuneration**) के हकदार होगें इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा—मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होगें। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।

14.सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। अंकित की गई जन्मतिथि अपरिवर्तनीय होगी।

15.उक्त नियुक्ति चरित्र स्व सत्यापन के संदर्भ में मूल शपथ पत्र एवं मूल स्व—घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन प्रोविजनल दी जावेगी।

16.उक्त आरक्षित सूची के अभ्यर्थियों की **Selection Category** उनकी मूल **Category** के समान है।

17.अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि लिपिक ग्रेड—II के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।

18.अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(जयनारायण मीणा) 24/12/20

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प0 14(44)RSMSSB/अर्थना/लि.ग्रेड—II/2016/3010 दिनांक 09.06.2020, प0 14(44)RSMSSB/अर्थना/लि.ग्रेड—II/2016/3250 दिनांक 13.08.2020, क्रमांकः क.नि.ग्रेड ।।। 2018/आवेदन पत्र/2020/101 दिनांक 24.08.2020, एवं कार्मिक(क—2) विभाग को प्रेषित पत्र क्रमांकः प. 14(44)आरएसएसबी/अर्थना/लि.ग्रे.।।/भर्ती/2018/3578 दिनांक 26.11.2020 के सन्दर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क—2) विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(नियम) विभाग।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु0—3) विभाग।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक(ग) विभाग को मय अतिरिक्त प्रति।
7. अतिरिक्त निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(ख) विभाग।
8. कार्मिक (ख—3/स्वागत कक्ष) विभाग।
9. प्रभारी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
10. संबंधित अभ्यर्थी।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

24/12/2020

सहायक शासन सचिव